मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
द्वितीय तल, तिलहन संघ बिल्डिंग, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल –462011
फोन : 0755–2671031, फैक्स : 0755–2556619
E mail: - mpsacs@gmail.com Website: - www.mpsacsb.org

क्र./MPSACS/TI/20/2771 दिनांक : 08/10/2020

प्रति,

महानिदेशक,
जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं मध्यप्रदेश,
भोपाल।

विषयः– म.प्र. के समस्त जेलों में एच.आई.वी. एवं टी.बी. हस्तक्षेप परियोजना के तहत स्ट्रेटेजिक इन्फारमेशन मैनेजमेंट सिस्टम (सिम्स) के संशोधित रिपोर्ट फार्मेट में प्रतिमाह रिपोर्टिंग करने के संबंध में।

संदर्भः– 01. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का पत्र क. Z-19014/01/2018/NACO-M&E दिनांक 31/03/2020।
02. मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल के पत्र क्रमांक 664 दिनांक 21/05/2020।
03. जेल मुख्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/वारंट–1/2020 दिनांक 06/20।
04. दिनांक 25/09/2020 को आयोजित स्टेट ऑवरसाईट कमेटी की बैठक के कार्यवाही विवरण।

मध्य प्रदेश की समस्त जेलों में परिरुद्ध कैदियों हेतु एच.आई.व्ही./एड्स, टी.बी–इंटरवेंशन/कार्यक्रम, प्रभावी रूप से संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली भारत सरकार के पत्र क्रमांक E-19014/80/2011-NACO(TI) के अनुसार प्रदेश की समस्त जेलों व Other Closed Settings में संचालित सुभिक्षा, एच.आई.व्ही., टीबी इन्टरवेंशन/कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों एवं कठिनाईयों को साझा करने एवं उचित समन्वय अन्य विभागों से स्थापित करने तथा समय–समय पर संबंधित कार्यों कि मॉनिटरिंग एवं समीक्षा हेतु स्टेट ऑवरसाईट (State Oversight Committee (SOC)) गठित की गई। जिसकी प्रथम समीक्षा बैठक में कार्यक्रम की प्रगति पर जेल प्रतिनिधि के साथ निम्नलिखित बिंदुओ पर परिचर्चा की गई–

01. कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश की समस्त जेलों में जनवरी 2018 से अगस्त 2020 तक कुल 1 लाख 91 हजार 214 HIV जाँच (नए ओर पुराने जेल कैदियों की जांच की गई ,जो की जेल में प्रवेश किये हुये नए कैदियों 3,35 492 का 57 प्रतिशत है। इससे ज्ञात होता है की प्रत्येक जेल में प्रवेश कर रहे नए बंदी की जाँच नही हो पा रही है। इस हेतु लिए राज्य, जिला एवं विकास खंड स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है।
02. जेलों में की गई उपरोक्त कुल एच.आई.व्ही. जांच के उपरांत में 876 बंदी प्रथम टेस्ट में रिएक्टिव पाए गए ।इन बंदियों की पुष्टिकरण जांच के पश्चात् 705 बंदी एच.आई.व्ही पॉजिटिव पाए गए। एच. आई.व्ही पॉजिटिव बंदियों में 645 बंदियों को ए.आर.टी. सेन्टर पर दवाई हेतु लिंक किया गया। अतः जेलों में लिंकेज और रेफरल सेवाओ को सुदृढ करने की आवश्यकता है।
03. एच.आई.व्ही.–टी.बी. इन्टरवेंशन कार्यक्रम के अंतर्गत 51 जिलो व केन्द्रीय जेलों में F-ICTC सेंटर स्थापित किये गए है ,जहां कार्यरत पैरामेडिकल स्टॉफ/कम्पाउंडर/ फार्मासिस्ट द्वारा HIV -TB स्क्रीनिंग की जा रही है। 08 केन्द्रीय जेलों में लिंक एआरटी सेण्टर स्थापित किये जिनमे सें 06 सेंटर पर जेल में ही एच.आई.व्ही पॉजिटिव बंदियों को एआरटी दवाई दी जा रही हे ,जिसमें सागर ओर बडवानी केन्द्रीय जेलों में लिंक ए.आर.टी. सेंटर रिक्त हैं जिन्हे अभी तक संचालित नहीं किया गया।